न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिधूना, औरैया।

परिवाद संख्या–08/2022

CNR No. UPAU120006972022

श्रीमती कविता मिश्रा बनाम रविन्द्र सिंह।

धारा–138 एन0आई0 एक्ट

थाना–बिधूना, जिला औरैया।

दिनांक–16.12.2025

पत्रावली आदेशार्थ नियत है। परिवादिनी एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र का0सं0 16ख वास्ते पत्रावली में दाखिल चैक का0सं0 11ख की जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से कराये जाने हेतु एवं परिवादिनी की आपत्ति दिनांकित 18.11.2025 पर पूर्व नियत तिथि पर सुना जा चुका है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र का0सं0 16ख:–

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रार्थना पत्र का0सं0 16ख इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी उक्त परिवाद में कथित अभियुक्त है तथा पत्रावली सफाई साक्ष्य हेतु नियत है। प्रार्थी ने किसी तरह का कोई सामान परिवादिनी या परिवादिनी की फर्म से नहीं लिया है। प्रार्थी ने 1,80,000/– रुपये दो–तीन बार में परिवादिनी के पति से उधार लिया था और गारण्टी बतौर प्रश्नगत चैक केवल हस्ताक्षर करके परिवादिनी के पति को दी थी। साथ ही साथ महिन्द्रा ट्रैक्टर संख्या यू0पी0 79 डब्लू 2802 दिया था, जिसका प्रार्थी स्वामी है। उक्त ट्रैक्टर के पंजीकृत स्वामी महेन्द्र सिंह पुत्र दयाराम निवासी रतनपुर बंथरा, बिधूना जनपद औरैया है। परिवादिनी द्वारा प्रश्नगत परिवाद के अलावा एक अन्य परिवाद संख्या 07/2022 थाना बिधूना, श्रीमती कविता मिश्रा बनाम वीरपाल अन्तर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट प्रचलित किया गया है तथा परिवाद संख्या 07/2022 के तथ्य भी प्रश्नगत परिवाद के समान हैं। प्रश्नगत परिवाद में दाखिल चैक संख्या 295387 व परिवाद संख्या 07/2022 में दाखिल चैक संख्या 045444 को देखने से प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि दोनों चैके एक ही व्यक्ति द्वारा लिखी गई हैं, जबकि दोनों चैकें अलग–अलग व्यक्ति के खाते की है। परिवादिनी ने अपनी जिरह दिनांकित 20.06.2025 के अन्तिम पृष्ठ पर नीचे से चौथी लाइन में कहा है कि ''यह कहना गलत है कि प्रश्नगत चैक रविन्द्र सिंह ने दिनांक, धनराशि व नाम भरकर न दिया हो।'' परिवादिनी द्वारा प्रश्नगत चैक प्रार्थी द्वारा भरी जाना कहा है, जबकि प्रार्थी ने केवल हस्ताक्षर युक्त चैक गारंटी बतौर दी थी और उक्त हस्ताक्षर युक्त चैक पर 1,80,000/– रुपये का ब्याज जोड़कर धनराशि व नाम भरकर चैक को अनादरित करवाकर यह मुकदमा किया गया है, जो अवैध लेन–देन की श्रेणी में आता है। परिवादिनी ने अपनी जिरह दिनांकित 20.06.2025 की पहली लाइन में अपनी दुकान की कुल आय 2,00,000/– रुपये वार्षिक होना कहा है, जबकि परिवादिनी ने अपने परिवाद में प्रार्थी द्वारा 2,83,460/– रुपये के सामान के एवज में चैक देना एवं परिवाद संख्या 07/2022 में 2,94,140/– रुपये के सामान के एवज में चैक प्राप्त होना कहा है। उक्त दोनों परिवादों में सामान विक्रय किये जाने का वर्ष एक ही है, जिससे भी प्रश्नगत परिवाद का कथानक संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रार्थी इस प्रार्थना पत्र के साथ परिवाद संख्या 07/2022 श्रीमती कविता मिश्रा बनाम वीरपाल सिंह अन्तर्गत धारा 138 एन०आई० एक्ट की चैक की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत कर रहा है। ऐसी स्थिति में पत्रावली में दाखिल चैक संख्या 295387 में हस्तलेख में की प्रविष्टियों की जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से कराया जाना न्यायहित में आवश्यक एवं न्यायसंगत है। प्रार्थी हस्तलेख विशेषज्ञ का खर्च वहन करने को तत्पर है। अतः प्रार्थना है कि पत्रावली में दाखिल चैक संख्या 295387 में हस्तलेख में की गई प्रविष्टियों की जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से कराये जाने की याचना की गयी है।

Digitally signed by PRAVEEN SINGH
Date: 2025.12.16 16:39:23 IST
Reason: Order
Location: CJJD/JM Outlying Court, Bidhuna

अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सूची से एक किता सत्यप्रतिलिपि चैक संख्या 045444 दिनांकित 10.01.2022 दाखिल की गयी है।

परिवादिनी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दिनांकित 18.11.2025 प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र विपक्षी विधि विरुद्ध व तथ्यों के प्रतिकूल है। विपक्षी द्वारा उक्त परिवाद की कार्यवाही को लगातार टाला जा रहा है। वह कई बार जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ और सुनवाई में विलम्ब कारित किया। अतः विपक्षी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया गया।

अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र का0सं0 16ख में स्वयं यह कथन किया गया कि उसने 1,80,000/– रुपये दो–तीन बार में परिवादिनी के पति से उधार लिया था और गारण्टी बतौर प्रश्नगत चैक केवल हस्ताक्षर करके परिवादिनी के पति को दी थी। स्पष्ट है कि अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं चैक पर हस्ताक्षर किया जाना स्वीकार किया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **बीर सिंह बनाम मुकेश कुमार 2019 एससीसी (4) 1997** में यह धारित किया गया है कि–

> "Even a blank cheque leaf, voluntarily signed and handed over by the accused, which is towards some payment, would attract presumption under Section 139 of the Negotiable Instruments Act, in the absence of any cogent evidence to show that the cheque was not issued in discharge of a debt."

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उपरोक्त विधि व्यवस्था में यह स्पष्ट रुप से निर्धारित किया गया है कि यदि अभियुक्त के द्वारा एक खाली चैक हस्ताक्षर करके किसी धनराशि के भुगतान हेतु परिवादी को प्रदान की जाती है, तो वह धारा 138 एन0आई0 एक्ट की उपधारणा को आकर्षित करेगी कि चैक किसी विधिक ऋण के उन्मोचन हेतु प्रदान की गयी थी। चूंकि अभियुक्त के द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में स्वयं स्वीकार किया गया है कि गारण्टी बतौर प्रश्नगत चैक हस्ताक्षर करके परिवादिनी को प्रदान की गयी थी, इसलिए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते चैक का0सं0 11ख की जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से कराये जाने के आधार पर्याप्त प्रतीत नहीं होते हैं। अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियुक्त का प्रार्थना पत्र का0सं0 16ख वास्ते पत्रावली में दाखिल चैक का0सं0 11ख की जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से कराये जाने हेतु खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त का प्रार्थना पत्र का0सं0 16ख वास्ते पत्रावली में दाखिल चैक का0सं0 11ख की जांच हस्तलेख विशेषज्ञ से कराये जाने हेतु खारिज किया जाता है। तद्नुसार परिवादिनी की आपत्ति दिनांकित 18.11.2025 निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20.01.2026 को पेश हो।

(डॉ0 प्रवीण सिंह)
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बिधूना, औरैया।
J.O. Code :UP3441